कार्यालय अधि<U+F0A7>ासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ

नीलामी सूचना संख्या–01/ई0ई0/2017–18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के प्रांगण में निम्नलिखित डीजल चलित वाहन की नीलामी दिनांक 13.10.2017 दिन को प्रातः 12:00 बजे की जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ के नाम बन्धक हो, दिनांक 10.10.2017 से 12.10.2017 तक खण्डीय कैशियर के पास कार्यालय में जमा करानी होगी।

क्र0 सं0	निष्प्रयोज्य हल्के वाहन का नाम/संख्या/ मॉडल मेक सहित	यूनिट	धरोहर राशि
1	2	3	4
1.	जीप संख्या यू0पी0–15ए–1444 मॉडल, 1990 महिन्द्रा मेक	01	5000.00

नोटः– उपरोक्त निष्प्रयोज्य वाहन का निरीक्षण दिनांक 10.10.2017 से 12.10.2017 तक किसी भी कार्यदिवस में खण्ड के सहायक अभियन्ता–पंचम के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीलामी की शर्तेः–

1– नीलामी की बोली किसी भी दशा में विभागीय दर धनराशि रू0 25000.00 से कम पर स्वीकार नही की जायेगी।

2– उपरोक्त निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी जैसा है जहॉ है के आधार पर की जायेगी।

3– यह नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट www.idup.gov.in एवं उ0प्र0 सरकार की वेबसाईट http:/upgov.up.nic.in/infotech पर उपलब्ध है जो उक्त वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है।

4– समस्त बोलीदाता दिनांक 10.10.2017 से 12.10.2017 की सांय 04:00 बजे तक खण्डीय लेखाधिकारी के समक्ष अपनी फर्म अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्धारित धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ के नाम बन्धक हो, खण्डीय कैशियर के पास जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात बोलीदाता नीलामी में भाग लेने का अधिकारी होगा।

5– नीलामी के समय कोई भी व्यक्ति/फर्म का प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का कोई हथियार अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर कार्यालय प्रागंण में नही आयेगा। यदि आता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

6– यदि बोली बोलने वाली फर्म/व्यक्तियों ने एक समूह/गिरोह बना लिया है और प्रतिस्पर्धा के रूप में उचित मूल्य नही मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में समिति द्वारा नीलामी को स्थगित कर दिया जायेगा।

7– नीलामी हेतु समस्त निर्णय का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नही होगा।

8– अधिकतम बोली वाली फर्म/व्यक्ति को अपनी बोली का 50 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में (बोली के पूर्व की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए) तुरन्त जमा कराना

होगा अन्यथा उसके लिए नीलामी से पूर्व जमा करायी गयी धरोहर राशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी। यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा 50 प्रतिशत धरोहर राशि नही दी जाती तो ऐसी स्थिति में द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को (बोली से पूर्व धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए) अपनी बोली की 50 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी अन्यथा नीलामी समिति द्वारा पुनः नीलामी कर दी जायेगी।

9— प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाताओ के अलावा अन्य बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि बोली समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

10— निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष एवं गठित समिति का होगा।

11— बोली की धनराशि पर नियमानुसार प्रचलित आयकर एवं जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा।

12— नीलामी समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना बोलीदाताओं के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में विघ्न डालेगा तो उसे नीलामी स्थल से बाहर कर दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

13— नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को 15 दिवस के अन्दर नीलामी के अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गयी 50 प्रतिशत धनराशि को विभागीय हित में जब्त कर लिया जायेगा।

14— नीलामी की स्वीकृति के एक माह के अन्दर कार्य स्थल से सामग्री को ले जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा। यदि बोलीदाता उक्त अवधि में सामग्री स्थल से सामग्री नही उठाता है तो उसकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी का होगा।

15— नीलामी में शामिल होने हेतु सभी बोलीदाता अपनी पहचान प्रमाण पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य वैद्य प्रमाण पत्र), एफ0डी0आर0 जमा कराते समय खण्डीय कैशियर को उपलब्ध करायेंगे।

अधि�ासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ